न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
256 / 2024	03.06.2024	11.06.2024

उनवान

1. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री धन्ना लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. ग़मानी पुत्री लादू गुर्जर आयु वयस्क निवासी चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. छोटू पुत्र लादू गुर्जर आयु वयस्क निवासी चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. देबी पुत्र भूरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नानी पत्नी नाथू गुर्जर आयु वयस्क निवासी चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. निरमा पुत्री नाथू गुर्जर आयु वयस्क निवासी चांदगढ़ तहसील बडलियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. बाली पुत्री लादू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– चांदगढ़ तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. रामलाल पुत्र लादू गुर्जर आयु वयस्क निवासी चांदगढ़ तहसील बडलियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. शंकर पुत्र लादू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– चांदगढ़ तहसील बढलियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. धापू पत्नी दूदां गुर्जर आयु वयस्क निवासी– चांदगढ़ तहसील बडलियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. सरजू पत्नी लादू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– चांदगढ़ तहसील बडलियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. जगरूप पुत्र हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी– चांदगढ़ तहसील बडलियास जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. देवबख पुत्र श्री हजारी गुजर आयु वयस्क निवासी चांदगढ़ तहसील बडलियास जिला भीलवाडा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

13.प्रभु पुत्र हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी चांदगढ़ तहसील बडलियास जिला भीलवाडा (राज०)

14.हरदेव पुत्र हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी चांदगढ़ तहसील बढ़लियास जिला भीलवाड़ा (राज०)

15.ग्राम पंचायत जीवा का खेड़ा पं.सं.. कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राज०) जरिये संरपच ग्राम पंचायत जीवा का खेडा

16.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बडलियास जिला भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: **निर्णय** :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चांदगढ़ प0ह0 जीवा का खेड़ा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आकोला तहसील बडलियास जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076—2079 के खाता संख्या 326 की अभिलिखित आराजियात 643/31 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2099 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज़ ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बीजयनगर

तहसीलदार बडलियास को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा चांदगढ़ प0ह0 जीवा का खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आकोला तहसील बडलियास जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 326 की अभिलिखित आराजियांत 643/31 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2099 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार बडलियास को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा